FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 20/07/2022 15:52 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	167
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 06/04/2004 **Date To (दिनांक तक):** 11/11/2004

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/07/2022 **Time (समय):** 14:16 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/07/2022 14:16 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 16 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): Vill Kardhaan,Ambala Cantt

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Ramphal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**State Vigilance Bureau, Ambala Range Ambala, SECTOR-10 AMBALA, Ambala CityAMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**State Vigilance Bureau, Ambala Range Ambala, SECTOR-10 AMBALA, Ambala CityAMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9468368848

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री आर.पी. गुप्ता			1. तत्कालीन उपायुक्त,एंव कमीश्नर अम्बाला, AMBALA,HARYANA,INDIA
2	श्री सतबीर सिहं			1. तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी,अम्बाला,सेवानिवृत AMBALA,HARYANA,INDIA
3	श्री गोधू राम			1. तत्कालीन तहसीलदार,अम्बाला छावनी,सेवानिवृत AMBALA,HARYANA,INDIA
4	देवेन्द्र सिहं			1. तत्कालीन नायब तहसीलदार,अम्बाला छावनी,जिला अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
थाना प्रबन्धक,
राज्य चौकसी ब्यूरो ,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।
श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 07.02.2019 अम्बाला अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ के यादी क्रमांक 62/21/2019-4 चौकसी-1 दिनांक 31.01.2019 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक 2369/आई-1/रा.चै.ब्यू. (ह.) दिनांक 08.02.2019 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यू0 अम्बाला में पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आयुक्त अम्बाला द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आरोप था कि गांव कराधान जिला अम्बाला की 934 कनाल 9 मरले शामलात देह की जमीन का पटवारी हलका दल सिंह ने दिनांक 11.03.2006 को इन्तकाल न0 6948 गांव के अलग-अलग हिस्सेदारों के नाम हिस्साकसी अनुसार तबदील मलकियत का दर्ज कर दिया। हलका कानूनगो सूरजभान द्वारा दिनांक 12.03.2006 को मुकाबला करने उपरान्त दिनांक 16.03.2006 को सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा मन्जूर कर दिया गया। दिनांक 15.05.2006 को ग्राम पंचायत, कराधान ने कलैक्टर, अम्बाला के न्यायलय मे पंजाब विलेज कामन लेंडज़ एक्ट की धारा 13-ए के तहत पृथ्वी सिंह व अन्य के विरूद्ध केस दायर किया कि ग्राम पंचायत को इस भूमि का मालिक घोषित किया जाए, क्योंकि इस शामलात भूमि की गलत तरीके से हिस्सेदारो के नाम मलकियत तबदील की गई है। दिनांक 15.05.2006 को कलैक्टर, अम्बाला द्वारा आगामी आदेशों तक उपरोक्त भूमि पर यथास्थिति बहाल करने के आदेश जारी कर दिये और दिनांक 19.03.2007 को कलैक्टर अम्बाला द्वारा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध मे भूमि विक्रय करने पर आगामी आदेश तक स्थगन आदेश पारित किए। दिनांक 20.04.2011 को कलैक्टर, अम्बाला ने ग्राम पचांयत द्वारा दायर किए गये केस को खारिज कर दिया कि अब यह गांव नगर निगम, अम्बाला में आ चुका है, इसलिए इस पर पंजाब विलेज कामन एक्ट लागू नही होता। इसके बाद दिनांक 26.05.2011 को ग्राम पंचायत कराधान द्वारा आयुक्त, अम्बाला मण्डल अम्बाला के न्यायलय में अपील दायर की। जिसका निपटान दिनांक 08.01.2013 को इस आदेश के साथ किया गया कि इस बारे आयुक्त नगर निगम, अम्बाला के न्यायालय मे चाराजोही करे। संयुक्त उप रजिस्ट्रार अम्बाला छावनी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनाकं 15.06.2006 व 19.03.2007 की उल्लघनां करते हुए वसीका पंजीकृत कर दिए और हलका पटवारी द्वारा रोजनामचा वाक्याती वर्ष 2005-06 व राजस्व रिकार्ड मौजा करधान में कलैक्टर अम्बाला के आदेश का कोई इन्द्राज नही किया।

जांच में लगाये गये आरोप की पड़ताल श्री रामदत्त, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला द्वारा की गई। राजस्व रिकार्ड अनुसार व पड़ताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2004 में संरपच ग्राम पंचायत करधान द्वारा दिनांक 06.04.2004 को गांव करधान की शामलात देह भूमि 26 एकड़ 10 मरले पर पशु-डायरियां बनाने के लिए सरकार की स्कीम के तहत भूमि को बाजारी रेट पर पशु डायरियों के बेचने हेतू वर्ष 1994-95 की जमाबन्दी अनुसार खतौनी न0 1394 मुरब्बा न0 31//6-19, 24, 25, 35//4-7, 15, 32//4-7, 3/2, 8/1/1, 8/2/2, 14/2/2, 15/9/2, 10, 11, 12, 13/1/1, 13/2, 14/1/2, 17/1/2, 17/2/2, 18-23, मुरब्बा न0 33//1,2,10, 34//1,2,10 कुल भुमि 26 एकड़ 10 मरले को ही बाजारी भाव पर बेचने के

लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। ग्राम पंचायत करधान द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में केवल उपरोक्त रकबे को बेचने का प्रस्ताव पास किया गया है, न कि गांव की पूरी शामलात देह के हिस्से निकालने के लिए। परन्तु ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव की अपेक्षा 11 अन्य व्यक्तियों से प्राप्त एक बिना डायरी किए/मार्क किए पत्र को आधार बनाकर श्री देवेन्द्र सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी ने श्री बालक राम तत्कालीन हलका पटवारी करधान व श्री औम प्रकाश तत्कालीन कानूनगों हलका करधान के माध्यम से गांव करधान की शामलात देह जमीन के हिस्से निकाल कर हिस्सों की सूचि तैयार करके श्री देवेन्द्र सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 396 दिनांक 27.10.2004 अनुसार गांव करधान की शामलात देह जमीन के हिस्सों की सूचि आगामी कार्यवाही हेतू श्री गोधू राम, तहसीलदार अम्बाला छावनी को भेजी गई थी। श्री गोधू राम तत्कालीन तहसीलदार अम्बाला छावनी द्वारा उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 938 दिनांक 29.10.2004 अनुसार गांव करधान की शामलात भूमि जमीन के हिस्सों की सूचि को अनुमोदित करने हेतू उप मण्डल अधिकारी (ना0) अम्बाला को भेजा गया था। उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए श्री सतबीर सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी (ना0) द्वारा गांव करधान की शामलात जमीन के हिस्सों की सूचि अनुमोदित करने हेतू श्री आर.पी. गुप्ता, तत्कालीन उपायुक्त, अम्बाला की सेवा में भेजी गई। जिस पर श्री आर.पी. गुप्ता, तत्कालीन उपायुक्त, अम्बाला द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 18172/एस.के./दिनांक 11.11.2004 अनुसार गांव करधान की शामलात जमीन के हिस्सों की सूचि को अनुमोदित करके उपरोक्त केस की मूल फाईल उप मण्डल अधिकारी (ना0) अम्बाला को भेजी गई। ग्राम पचायत द्वारा तहसीलदार अम्बाला छावनी की सेवा मे भेजे गए प्रस्ताव पर तहसीलदार अम्बाला छावनी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1050 दिनांक 30.9.2004 अनुसार कार्यवाही करते हुए उप तहसीलदार अम्बाला छावनी को भेजा गया था। इसी प्रकार अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.11.2004 को ग्राम पचायत करधान की शामलात जमीन के हिस्से निकाले गए। राजस्व विभाग के नीचले स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों से लेकर तत्कालीन कलेक्टर अम्बाला तक ग्राम पंचायत के हिस्से निकालने में बहुत ही कम समय लेकर अधिकारियों/कर्मचारियों ने आपसी मिलिभगत करके नीजि स्वार्थ के लिए ग्राम पचायत करधान की शामलात देह के हिस्से निकाले है।

पड़ताल के दौरान यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत करधान द्वारा गांव की शामलात भूमिजमीन के 26 एकड़ 10 मरले जमीन को बाजारी भाव पर पशु- डायरियों के बेचने हेतू जो प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर अम्बाला को केवल 26 एकड़ 10 मरले भूमिको गांव मे डायरियों बनाने हेतू बेचने की अनुमति देनी चाहिए थी व कलेक्टर अम्बाला द्वारा गांव करधान की शामलात भूमि जमीन के जो हिस्से अनुमोदित किए गए थे। उन हिस्सों को पंजाब विलेज कामन लेण्ड एक्ट की धारा 13-ए व जय सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2003 को पारित किए गए फैसले को ध्यान मे रखते हुए निकालना चाहिए था। जबकि राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों व कलेक्टर अम्बाला द्वारा ऐसा न करके गांव करधान की कामन परपस लेण्ड के हिस्से भी निकाल दिए गए। वर्ष 1963-1964 की जमाबन्दी के अनुसार गांव करधान का खेवट न0 168 शामलात भूमि हसब रसद खेवट आराजी का कुल रकबा 959 कनाल 17 मरले था, जिसमें कामन परपस लेण्ड का रकबा जैसे कि खतौनी न0 215 में बंजर कदीम 19 कनाल 8 मरले, गैरमुमकिन 2 कनाल 18 मरले, खतौनी न0 216 में मकबूजा एहले हनूद 8 कनाल 10 मरले, खतौनी न0 217 में मकबूजा भाशिन्दगांद देह 635 कनाल 9 मरले, खतौनी न0 223 में मकबूजा एहले सिख 4 कनाल 7 मरले, खतौनी न0 224 मकबूजा कुम्हारान 0 कनाल 19 मरले, खतौनी न0 225 में मकबूजा हरिजनान 0 कनाल 5 मरले, खतौनी न0 226 में सरायेआम 107 कनाल 19 मरले व खतौनी न0 218, 219, 220, 221, 222 में 181 कनाल है। उपरोक्त भूमि 959 कनाल 17 मरले है। उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गांव करधान की उपरोक्त शामलात भूमि मे से कुल 934 कनाल 9 मरले जमीन के हिस्से कायम किए गए है। जिनमें उपरोक्त कामॅन परपस लैण्ड भी शामिल है।

इस प्रकार श्री आर.पी. गुप्ता तत्कालीन उपायुक्त/कमीश्नर अम्बाला (सेवानिवृत), श्री सतबीर सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी (ना0) अम्बाला(सेवानिवृत), श्री गोधू राम, तत्कालीन तहसीलदार अम्बाला छावनी(सेवानिवृत), श्री देवेन्द्र सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी(सेवानिवृत) आदि उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमिताओं से, जाल साजी से आपस मे मिलिभगत करके, नियम के विरूद्ध कार्य करके व अपने पद का दुरूप्योग करके सरकार की सम्पत्ति को हानि पहुंचाकर घोर अपराध किये पाये जाने पर उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध धाराधीन 166, 167, 420, 466, 120-बी भा.द.स. व 13(1)d r/w13(2) PC Act.1988 के तहत अभियोग दर्ज

रजिस्टर किए जाने, इन्तकाल न0 6948 दिनांक 16.03.2006 जो हिस्से निकालने के बाद हिस्सेदारों के नाम कलेक्टर अम्बाला के आदेश से दर्ज किया गया था, को रद्द किए जाने का सुझाव देकर व श्री महावीर सिंह मलिक, तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी अम्बाला (सेवानिवृत), श्री दल सिंह तत्कालीन हलका पटवारी करधान(सेवानिवृत) व श्री चन्द्र प्रकाश तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी (सेवानिवृत) के विरूद्व अभियोग के अनुसंधान के दौरान कोई साक्ष्य/तथ्य सामने आये तो देख लिए जाने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 62/21/2019-4V-II दिनांक 19.05.2022 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांक 9534/Secret/SVB (H) दिनांक 15.06.2022 अनुसार उपरोक्त के विरूद्व अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अंतः श्री आर.पी. गुप्ता तत्कालीन उपायुक्त/कमीश्नर अम्बाला (सेवानिवृत), श्री सतबीर सिंह, तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी (ना0) अम्बाला(सेवानिवृत), श्री गोधू राम, तत्कालीन तहसीलदार अम्बाला छावनी(सेवानिवृत), श्री देवेन्द्र सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी(सेवानिवृत) के विरूद्व धाराधीन 166, 167, 420, 466, 120-बी भा.द.स. व 13(1)d r/w13(2) भ्रष्टाचार अनुमूलन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने के लिये लेख अभियोग थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजा जा रहा है। श्री महावीर सिंह मलिक, तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी अम्बाला (सेवानिवृत), श्री दल सिंह तत्कालीन हलका पटवारी करधान (सेवानिवृत) व श्री चन्द्र प्रकाश तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी (सेवानिवृत) के विरूद्व अभियोग के अनुसंधान के दौरान कोई साक्ष्य/तथ्य सामने आये तो देख लिया जाये। अभियोग अंकित करने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मजिस्ट्रेट, उच्च अधिकारीगण तथा सम्बधित विभागों को भिजवाई जायें व अभियोग अंकित करने उपरान्त उच्चाधिकारियों से आगामी अनुंसधान के आदेश प्राप्त होने पर अभियोग फाईल रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के पास भेजी जाये।

(रामफल)
निरीक्षक,
राज्य चौकसी ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल अम्बाला।
दिनांक 20.07.2022
At 02:00 PM

अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूर्म उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर रपट न. 09 दिनांक 20.07.2022 अनुसार अभियोग संख्या 13 दिनांक 20.07.2022 धाराधीन 166, 167, 420, 466, 120-बी भा.द.स. व 13(1)d r/w13(2) PC Act.1988 अंकित करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट उ.नि. गुरतरण सिहं न. 266/अम्बाला के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला व उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता श्री अजय कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** ajay (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/hps **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.